UPGZ010042162023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद

उपस्थित– श्री नीरज गौतम (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O.ID No–UP 6260

CNRNo: UPGZ010042162023

क्रिमीनल अपील संख्या 35/2023

रजिस्ट्रेशन नं0 35/2023

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0)

–अपीलार्थी

बनाम

1. चन्द्रेश सागार पुत्र रविन्द्र कुमार निवासी मौ0 मीरा थाना अनूपशहर जिला बुलन्दशहर ।
2. उमेद पुत्र राम सिंह उर्फ श्याम सिंह निवासी– ग्राम धरयानूरपुर थाना खुर्जा जिला बुलन्दशहर ।
3. सुशील कुमार पुत्र भूलेराम निवासी बैंक कालोनी कस्वा व थाना हापुड जिला हापुड ।

रेस्पोडेंट/विपक्षीगण

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील अवर न्यायालय अपर सिविल जज (सी0 डि0) प्रथम गाजियाबाद द्वारा फौ0 वाद संख्या 963/2015 मु0 अ 0 स 0 1302/2012 धारा 354,504,506 भा0 द 0 स 0 थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 20.12.2022 के विरूद्व संस्थित की गयी है। उक्त आदेश/निर्णय के द्वारा अवर न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण चन्द्रेश सागर, उमेद एवं सुशील सागर को धारा 354,504,506 भा0 द 0 स 0 में दोषमुक्त किया गया है।

2. प्रकरण लैंगिक अपराध से संबंधित होने के कारण निर्णय में पीडिता को

Digitally signed by NIRAJ GAUTAM
Date: 2016.02.12 02:39:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उसके नाम से सम्बोधित न करके उसको ' वादिनी ' शब्द से सम्बोधित किया गया है तथा उसके परिवारीजन के नाम को भी पहचान प्रकट न करने के उददेश्य से वर्णित नहीं किया गया है।

3. उपरोक्त अपील में अपीलार्थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह आधार लिया गया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति का निर्णय मनमाने ढंग से पारित किया गया है। साक्षी/ वादिया आकांक्षा प्रिया ने न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने बयानों में तहरीर व धारा 161 द0प्र0स0 में घटना का समर्थन करते हुए कहा कि घटना दिनांक 21.12.2012 को शाम को 4–5 बजे के बीच की है। सुशील एक लडकी को हास्टल में लेकर आया था । शाम के समय उस लडकी को छोडने जा रहा था । गेट पर वार्डन त्यागी ने उससे पूछताछ कर रहे थे तभी हम तीनों लडकियां वहां पर पहुंची और लडकी लाने के संबंध में पूछताछ करने लगे । वह वेवजह हम लोगों को बोलते थे कि हम लोग लडके लेकर आते है जब कि वह आज खुद लडकी लेकर आये हैं । वार्डन ने सुशील के साथ आयी लडकी से पूछताछ करने के लिए मुझ से कहा तो इसी बात पर सुशील उसके साथ उमेद व चन्द्रेश उत्तेजित हो गये और मेरे साथ गाली गलौच करने लगे । तीनों अभियुक्तों ने मेरे साथ बदतमीजी की। उक्त तीनों अभियुक्तों ने मेरे से बोला कि तू बेवजह शेरनी बनती है। तेरे को हम बतायेंगे । तुझे किसी लायक नहीं छोडेंगे और बोले कि तेरा रेप करके एम एम एस बनायेंगे और जान से मारने की धमकी दी । इस साक्षी के कथन को न्यायालय द्वारा विश्वसनीय न मानते हुए अभिकथित निर्णय पारित किया गया है। अभियोजन साक्षीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। चूंकि घटना घटित होने के काफी समय अन्तराल पर साक्षीगण के बयानों में मामूली विरोधाभास आना स्वाभाविक है और मामूली विरोधाभास मात्र को विमुक्ति का आधार नहीं बनाया जा सकता । घटना के चक्षुदर्शी साक्षियों द्वारा न्यायालय के समक्ष किये गये कथन मे घटना का समर्थन किया है। सभी साक्षियों ने कथन किया है कि घटना दिनांक 21.12.2012 को पीडिता के साथ अभियुक्तगणें ने छेडछाड, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी गयी है। जहां तक पीडिता के साथ छेडछाड का प्रश्न है उसके संबंध में पीडिता द्वारा उत्तम साक्ष्य दिया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी द्वारा अपील को स्वीकार किये जाने तथा अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 20.12.2022 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4. अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त अपील के साथ जिला मजिस्ट्रेट का पत्रांक एवं अवर न्यायालय द्वारा मु0अ0स0 1302/2012 धारा 354,504,506

भा0 द 0 स 0 थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद में पारित आदेश दिनांक 20.12.2022 की सत्यापित प्रतिलिपि कागज संख्या 6 ख/2 लगायत 6 ख/6 दाखिल की गयी है ।

5. विपक्षीगण की ओर से कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

6. मूल पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि वादिनी मुकदमा/पीडिता द्वारा थाना सिहानी गेट पर लिखित तहरीर इन कथनों के साथ प्रस्तुत की गयी कि वह एस सी एस टी छात्रावास नन्दग्राम में रहकर पढ रही है और दिनांक 21.12.2012 को हमारे छात्रावास में ही रहने वाले लडके चन्द्रेश पुत्र रविन्द्र , उमेद पुत्र राम सिंह एवं सुशील पुत्र भूले राम के द्वारा उसके साथ अश्लील हरकते की और रेप करके एम एम एस बनाने की बात कही और उसे जान से मारने की धमकी दी और बहुत गन्दी गन्दी गाली दी। घटना के समय उसकी बहन एवं पूनम थे । रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया।

7. वादिनी मुकदमा की उक्त लिखित तहरीर के आधार पर 21.12.2012 को समय 16.55 बजे थाना सिहानी गेट पर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0 अ 0 स 0 1302/2012 अन्तर्गत धारा 354,504,506 भा0 द 0 स० पंजीकृत की गयी ।

8. विवेचक द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया तथा गवाहान के बयान अंकित किये गये तथा पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण चन्द्रेश, उमेद एवं सुशील के विरूद्व धारा 354,504,506 भा0 द 0 स 0 के अधीन दण्डनीय अपराध में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

9. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 354,504,506 भा0 द 0 स 0 का आरोप विरचित किया गया । अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण किये जाने का अनुरोध किया गया ।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से पी0 डब्लू 1 वादिनी/ पीडिता , पी0 डब्लू 2 पीडिता की बहन , पी0 डब्लू 3 उप०नि० अनेक पाल सिंह तथा पी0 डब्लू 4 का0 क्लर्क ओमबीर सिंह को परीक्षित कराया गया । अभियोजन साक्षीगण द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष तहरीर को प्रदर्श क–1, नक्शा नजरी को प्रदर्श क–2 एवं आरोप पत्र को प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया गया ।

11. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 द 0 प्र 0 स 0 अंकित किये गये । अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य देने का अनुरोध किया गया ।

12. बचाव पक्ष की ओर से अवर न्यायालय के समक्ष डी0 डब्लू 1 कुमारी

पूनम, डी0 डब्लू 2 सुदेश दीक्षित एवं डी0 डब्लू 3 दिनेश त्यागी को परीक्षित कराया गया है।

13. अवर न्यायालय द्वारा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) को सुनने के उपरान्त गुण दोष के आधार पर प्रश्नगत आदेश दिनांकित 20.12.2022 पारित किया गया है।

14. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गाजियाबाद तथा विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

15. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अवर न्यायालय का आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत है तथा अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों का विधिवत परिशीलन नहीं किया गया है । अतः अपील को स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय के आदेश को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

16. विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है और न ही अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध किसी तथ्य को नजर अंदाज किया गया है । अभियोजन साक्षीगण ने घटना का समर्थन नहीं किया है जिस कारण अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया है। अवर न्यायालय के आदेश में कोई अनियमितता नहीं है। उपरोक्त आधारों पर अपील को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

17. प्रस्तुत दाण्डिक अपील के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए निम्नलिखित अवधार्य विन्दु विरचित किये जाते हैंः–

1. क्या अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्व विरचित आरोप साबित होता है ?
2. क्या अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत की गयी परिस्थितियां एवं अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में दर्शायी गयी विसंगतियों के आधार पर अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य है ?
3. अभियुक्तगण किस अपराध के लिए दण्डित किये जाने योग्य है ?
4. क्या अवर न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है ?

18. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादिनी द्वारा घटना का समय तहरीर में अंकित नहीं किया गया है। पी0 डब्लू 1 वादिनी ने मुख्य

परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 21.12.2012 को शाम 4–5 बजे अभियुक्तगण ने वादिनी से गाली गलौच किया तथा रात 8 बजे अभियुक्तगण ने छात्रावास में वादिनी के साथ बदतमीजी तथा मारपीट की । प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी0 डब्लू 2 पीडिता की बहन ने साक्ष्य में कथन किया है कि घटना दिनांक 21.12.2012 समय 4 बजे की है। पी0 डब्लू 2 ने साक्ष्य में रात्रि 8 बजे घटित घटना का कोई उल्लेख नहीं किया है। पी0 डब्लू 1 वादिनी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उन्हें घटना की तिथि ध्यान में नहीं है। 30 दिसम्बर थी, 1 जनवरी थी फिर कहा 30 दिसम्बर थी या 1 जनवरी थी । इस प्रकार घटना की तिथि तथा समय के संबंध में अभियोजन कथानक में अन्तर्निहित विसंगति से यह स्पष्ट है कि अभियोजन घटना की तिथि तथा समय सिद्व करने में विफल रहा है।

19. प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादिनी द्वारा कोई घटना स्थल वर्णित नहीं किया गया है। विवेचक द्वारा नक्शा नजरी में घटना स्थल खाली जगह सडक पर दर्शित किया गया है। पी0 डब्लू 2 वादिनी की बहन के साक्ष्य के अनुसार घटना मैन गेट के पास की है। नक्शा नजरी प्रदर्श क–2 में घटना स्थल के रूप में मैन गेट का उल्लेख नहीं होने के कारण प्रस्तुत प्रकरण का घटना स्थल भी सिद्व नहीं हो रहा है।

20. तहरीर प्रदर्श क–1 में वादिनी ने अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट करने का कोई उल्लेख नहीं किया है। पी0 डब्लू 1 वादिनी ने मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट करने का उल्लेख तो किया है परन्तु प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसके साथ मारपीट नहीं हुई थी । इस प्रकार वादिनी के साक्ष्य की विश्वसनीयता तथा प्रमाणिकता संदिग्ध हो जा रही है। पी0 डब्लू 2 वादिनी की बहन ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मारपीट से चोटें आयी थी परन्तु खून नहीं निकला था । अतः अभियोजन साक्ष्य में परस्पर अन्तर्विरोध भी प्रकट हो रहा हैं ।

21. अभियोजन कथानक के अनुसार घटना स्थल पर प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में पूनम उपस्थित थी परन्तु पूनम को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया जाकर बचाव पक्ष द्वारा डी0 डब्लू 1 के रूप में परीक्षित कराया गया है। डी0 डब्लू 1 पूनम ने अपने साक्ष्य में दिनांक 21.12.2012 को अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के साथ बदतमीजी, छेडछाड, गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी देने से स्पष्ट इंकार किया है। आरोप पत्र में दिनेश त्यागी, मैसवाला को अभियोजन साक्षी के रूप में दर्शित किया गया है परन्तु उसे बचाव पक्ष द्वारा डी0 डब्लू 3 के रूप में परीक्षित कराया गया है। डी0 डब्लू 3 दिनेश त्यागी ने साक्ष्य में कथन किया है कि घटना के समय वह हास्टल का संचालक था तथा उसने घटना देखी थी । अभियुक्तगण ने वादिनी के साथ बदतमीजी या छेडछाड नहीं की थी बल्कि वादिनी स्वंय एक झगडालू किस्म की लडकी थी तथा वह किसी न

किसी से झगडा करती रहती थी । डी0 डब्लू 2 सुदेश दीक्षित ने भी साक्ष्य में कथन किया है कि वह घटना की तिथि पर हास्टल में मौजूद था तथा रखवाली के लिए गेट पर तैनात था । उक्त तिथि को अभियुक्तगण ने वादिनी के साथ किसी प्रकार की बदतमीजी या छेडछाड नहीं की । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित नहीं होता है। अवधार्य विंदु संख्या 1, 2 ,3 एवं 4 उपरोक्त विश्लेषण के प्रकाश में तद्नुसार निस्तारित किये जाते हैं।

22. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **स्टेट ऑफ गुजरात बनाम जयराभाई पंजाभाई वारू 2016 (96) एसीसी 531 एसीसी** में अवधारित किया है कि " The burden of proof in criminal law is beyond all reasonable doubt, The prosecution has to prove the guilt of the accused beyond all reasonable doubt and it is also the rule of justice in criminal law that if two views are possible on the evidence adduced in the case, one pointing to the guilt of the accused and the other towards his innocence, the view which is favourable to the accused should be adopted "। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य का विश्लेषण प्रलेखीय साक्ष्य के प्रकाश में समग्रता से करने पर यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है।

23. अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन से स्पष्ट है कि अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता तथा कोई विधिक त्रुटि होना दर्शित नहीं होती है । अतः प्रश्नगत आदेश में इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नगत आदेश स्थिर रहने योग्य है तथा वर्तमान दाण्डिक अपील संख्या 35/2023 निरस्त होने योग्य है ।

आदेश

24. दाण्डिक अपील संख्या 35/2023 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम चन्द्रेश सागर आदि निरस्त की जाती है । अवर न्यायालय द्वारा फौ0 वाद संख्या 963/2015 मु0 अ 0 स 0 1302/2012 धारा 354,504,506 भा0 द 0 स 0 थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद में पारित आदेश दिनांक 20.12.2022 की पुष्टि की जाती है ।

25. प्रत्यर्थीगण धारा 437 ए द0प्र0सं0 के अनुपालन में मु0 20,000/– रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की एक–एक प्रतिभू अवर न्यायालय के समक्ष अन्दर एक सप्ताह प्रस्तुत करें ।

26. तलबीदा पत्रावली इस आदेश की प्रति के साथ अविलम्ब संबंधित न्यायालय को वापस प्रेषित की जाये ।

(नीरज गौतम)

दिनांक 03.04.2026

विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
गाजियाबाद

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया ।

(नीरज गौतम)

दिनांक 03.04.2026

विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
गाजियाबाद